10786/11-09-2020

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक– 10.09.2020 को विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की समीक्षात्मक बैठक में की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा पंजी संधारित।

1. **विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत भू–स्वामित्व के संबंध में परिलक्षित होने वाले विभिन्न परिदृश्य के संबंध में (MARBLE) :–** अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गत् सप्ताह की बैठक में इस संदर्भ में दिए गए निदेश के क्रम में पुनः निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया में मानचित्र एवं अभिलेख आधारित पात्रता **(Map and Record Base entitlement)** निर्धारित करने के लिए– 1. माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा भूमि के सर्वेक्षण के दौरान रैयत के अधिकार का खाता खोलने के संदर्भ में जो विभिन्न आदेश पारित किये गये है, उन्हें संकलित किया जाय। 2. क्षेत्रीय बन्दोबस्त कार्यालयों में रक्षित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा रैयत के खाता निर्धारण से संबंधित जो विभिन्न आदेश पारित किये गये है, उसमें से महत्त्वपूर्ण वादों का संकलन। 3. रैयत द्वारा अपने नाम से खाता खुलवाने हेतु जो कागजात उपलब्ध कराये जाते है, उनके वैधता की जांच करने हेतु सरल उपाय का निर्धारण। 4. सर्वेक्षण के दौरान सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा जो रैयत का खाता खुलने हेतु आदेश पारित किये जाते है, उन वादों के अभिलेख के साथ समीक्षा किया जाना।

अनुपालनः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, तकनीकी कोषांग के सभी पदाधिकारी।

2. **प्लॉटर द्वारा अंचलों में मानचित्र बिक्री में बाधा के संबंध में:–** अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि विभिन्न जिलों के अंचलों में प्लॉटर मशीन खराब रहने, इंक कॉर्टेज समाप्त रहने, पेपर एवं ऑपरेटर उपलब्ध नहीं रहने की दशा में 31 जिलों में से 13 जिलों में रैयतों को मानचित्र उपलब्ध नहीं हो रहा है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस पर खेद प्रकट किया गया एवं निदेशित किया गया कि इसमें लापरवाह के लिए जिम्मेदार की पहचान की जाय एवं इसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाय। साथ ही निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को निदेशित किया गया कि इन प्लॉटरों के रख–रखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी के साथ अविलंब बैठक की जाय और प्लॉटर ठीक कराने के साथ–साथ यदि एजेंसी की स्तर से लापरवाही की जाय तो उसे भी ब्लैकलिस्ट की जाय।

अनुपालनः– उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग एवं सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप।

3. **मोन्यूमेंटेशन कार्य के लिए हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को किए जाने वाले भुगतान के संबंध में :–** निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बताया गया कि विषयांकित मामले की संचिका विधि विभाग द्वारा अपर महाधिवक्ता के कार्यालय को भेजी गई है। संपर्क करने पर ज्ञात हुआ है कि एक सप्ताह के अंदर मंतव्य विधि विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि विधि विभाग एवं वित्त विभाग से सपंर्क कर मंतव्य प्राप्त करने की कार्रवाई अविलंब कर ली जाय।

अनुपालनः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।

4. **हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के बकाए का भुगतान** :– अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया कि जिन जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन जिलों के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) अथवा अन्य संबंधित पदाधिकारी को प्रतिवेदन के साथ निदेशालय में अगले सोमवार को बैठक आहूत कर बुलाया जाय और भुगतान के मामले की समीक्षा कर विधिवत् भुगतान की कार्रवाई अविलंब कर ली जाय।

अनुपालनः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।

5. **विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा** :– अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि प्रथम चरण के शेष 8 जिलों में भी निदेशालय के नोडल पदाधिकारी भ्रमण कर कार्यों की समीक्षा करने तथा प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराये। साथ ही उन्होंने विभागीय स्तर से जिलों के सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के लिए प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारियों को भी निदेशित किया कि वे भी इस माह में समस्याग्रस्त जिलों का भ्रमण कर हो रहे कार्यों की समीक्षा कर ले और समीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध कराये। यह भी निदेशित किया गया कि विभागीय नोडल पदाधिकारी, निदेशालय के नोडल पदाधिकारी एवं निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप जूम के माध्यम से भी रैंडमली जिलों के भू–सर्वेक्षण के कार्यों की समीक्षा करेंगे।

अनुपालनः–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/ सभी विभागीय नोडल पदाधिकारी / सभी निदेशालय के नोडल पदाधिकारी।

6. **Real time map updation on the basis of land mutation** :– अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि इस संबंध में अविलंब फ्लो चार्ट बनाकर उपस्थापित किया जाए ताकि उसके अनुसार नियम एवं अधिनियम सुधार तथा सॉफ्टवेयर बनाने की कार्रवाई की जा सकती है। अपर मुख्य सचिव द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि घाटकुसुम्भा अंचल शेखपुरा के दो राजस्व ग्रामों में भू–सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। अतः वहां तैयार मानचित्र को आधार बनाकर इस कार्य का परीक्षण कराने हेतु आवश्यक उपाय किये जाय।

अनुपालनः– श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 / श्री आनंद शंकर, आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।

7. **भू–नक्शा सॉफ्टवेयर** :– श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 ने बताया कि बेल्ट्रॉन के एस0डी0सी0 के स्तर पर कार्रवाई कर ली गई है। अग्रेतर सॉफ्टवेयर के परीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर परीक्षण कार्य समाप्त कर भू–नक्शा को ऑनलाईन कर दिया गया है।

अनुपालनः– श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, बिहार, पटना।

8. **निदेशालय के वित्तीय स्थिति की समीक्षा** :– अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि निदेशालय के योजना, गैर–योजना एवं भारत सरकार से प्राप्त होने निधि की समीक्षा कर राशि के उपलब्धता के संबंध में वस्तुस्थिति अवलोकनार्थ उपस्थापित किया जाय ताकि इस संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनुपालनः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।

9. **एम0आई0एस0 के लेवल–2 का प्रतिवेदन तैयार किया जाना** :– अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि समीक्षा हेतु एम0आई0एस0 के लेवल–2 का प्रतिवेदन तैयार कर अगली बैठक में उपस्थापित किया जाए।

अनुपालनः– सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।

10. **उद्व्यय राशि के संदर्भ में स्मार** :– अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि सचिव, योजना एवं विकास विभाग को उद्व्यय राशि उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया जाय।

अनुपालनः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।

11. **रेडियो जिंगल** :– अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि रेडियो जिंगल तैयार किया जाय एवं इसके द्वारा प्रथम चरण के 20 जिलों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय। उपस्थित श्री श्यामल किशोर पाठक, विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उल्लेखित किया गया कि मैथिली, भोजपुरी एवं अन्य भाषा में भी रेडियो जिंगल तैयार कराया जा सकता है और संबंधित इलाकों के आकाशवाणी केन्द्रों से इन जिंगलों का प्रसारण कराया जा सकता है।

अनुपालनः– श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, तकनीकी कोषांगा एवं श्री आनंद शंकर, आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

12. **अपर समाहर्त्ताओं द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त का कार्य** :– बैठक में निदेशालय के जिलों से संबंधित नोडल पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि खगड़िया, जमुई, लखीसराय एवं नालंदा के अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त का कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि जिले कनीय उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारियों को इस कार्य हेतु प्राधिकृत किया गया है। अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि इन जिलों के अपर समाहर्त्ता को अपने दायित्त्व निर्वहन हेतु निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशित करेंगे।

अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय।

13. **सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) का बैठक आहूत के संबंध में** :– अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि प्रथम चरण के 20 जिलों के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) की बैठक दिनांक– 30.09.2020 को बुलाया जाय एवं इन पदाधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण संबंधी कार्यशाला भी दिनांक– 01.10.2020 को की जाय।

अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017 10786 **पटना, दिनांक :–** 11-09-2020

प्रतिलिपिः– सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134/2017......10786...... पटना, दिनांक :–11-09-2020

प्रतिलिपिः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्रतिनियुक्त सभी नोडल पदाधिकारी/निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्रतिनियुक्त सभी नोडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (प्रतिनियुक्त भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग/तकनीकी कोषांग के सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0/श्री आनंद शंकर, आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

Sd/- 11/9/20
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134/2017......10786...... पटना, दिनांक :–11-09-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 11/9/20
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप